डिस्कलेमर

आदेश संख्या 38/2021-22 के मुख पृष्ठ, प्राधिकरण के निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआई –चैन्ने/सीपी-III/2021-22

आदेश संख्या 38/ 2021-22

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

चैन्ने अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्ने (एमएए) में तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख : 04 फरवरी, 2022

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

16. प्राधिकरण के निर्णयों का सार

निम्नलिखित खंड में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों का सार दिया गया है।

अध्याय 4 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टू अप

4.12.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू अप के लिए तालिका 8 के अनुसार यातायात की मात्राओं को मानना।

4.12.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू अप के लिए तालिका 24 के अनुसार वैमानिक आरएबी को मानना।

4.12.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू अप के लिए तालिका 32 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.12.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू अप के लिए तालिका 35 के अनुसार एफआरओआर को मानना।

4.12.5 प्रथम और द्वितीय नियंत्रण अवधियों के लिए भूमि पर प्रतिलाभ की अनुमति न देना।

4.12.6 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू अप के लिए तालिका 57 के अनुसार प्रचालन खर्च को मानना।

4.12.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू अप के लिए तालिका 63 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.12.8 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू अप के लिए तालिका 68 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

4.12.9 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू अप के लिए तालिका 72 के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

4.12.10 तालिका 76 के अनुसार 31 मार्च, 2022 को अधिक वसूल की गई 532.39 करोड़ रूपए की राशि को तृतीय नियंत्रण अवधि में अग्रेनित करना।

अध्याय 5: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.6.1 प्राधिकरण ने तालिका 80 के अनुसार यात्री यातायात और एटीएम यातायात को मानने का निर्णय लिया है।

5.6.2 प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि में यातायात के निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर टीसीपी के लिए यातायात को टूअप करने का निर्णय लेता है।

अध्याय 6 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार और मूल्यह्रास

6.6.1 यदि कोई भी विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा 6.5.1 के अनुसार टैरिफ आदेश में अनुमोदित पूंजीकरण की समय-सारणी के अनुसार पूंजीकृत नहीं की जाती है तो परियोजना लागत के पूंजीकृत न किए गए भाग की 1% राशि को तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप के दौरान एआरआर/लक्ष्य राजस्व से पुन: समायोजित करना (घटाना)।

6.6.2 पैरा 6.5.2 में उल्लेख किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टर्मिनल भवन के 90:10 के अनुपात को मानना।

6.6.3 पैरा 6.5.3 में उल्लेख किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वित्तीय भत्ते की अनुमति न देना।

6.6.4 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 107 में दिए गए वैमानिक पूंजीगत परिवर्धनों को मानना ।

6.6.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 108 में दिए गए मूल्यह्रास को मानना।

6.6.6 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 109 में दिए गए वैमानिक आरएबी को मानना।

6.6.7 तृतीय नियंत्रण अवधि में परिसंपत्ति में किए गए वास्तविक परिवर्धन के आधार पर और इसके औचित्यपूर्ण होने पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत परिवर्धनों, परिसपंत्ति आबंटन और मूल्यह्रास को टूअप करना ।

अध्याय 7 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

7.6.1 पैरा 7.2.6 के अनुसार 14.00% ईक्विटी की लागत को मानना।

7.6.2 तालिका 113 के अनुसार 6.21% ऋण की लागत को मानना

7.6.3 वास्तविक आंकड़ों के आधार पर और इसके औचित्यपूर्ण तथा कार्यक्षम होने पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को टूअप करना।

7.6.4 तालिका 116 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 11.98% एफआरओआर को मानना

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए भूमि पर प्रतिलाभ

8.6.1 पैरा 8.5.2 में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि में भूमि पर प्रतिलाभ को न मानना।

अध्याय 9 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

9.6.1 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 125 में निर्धारित किए अनुसार प्रचालनल एवं अनुरक्षण खर्च को मानने का निर्णय करता है।

9.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्यपूर्ण और कार्यक्षम होने पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को टूअप करना।

अध्याय 10 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर–वैमानिक राजस्व

10.6.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 130 के अनुसार गैर –वैमानिक राजस्व को मानना।

10.6.2 यदि गैर-वैमानिक राजस्व के कारण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण में अनुमानित राशि अधिक हो जाती है तो गैर- वैमानिक राजस्व को टूअप करना।

अध्याय 11 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.6.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पैरा 11.5.1 (तालिका 133) के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

11.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के अंत में कर के वास्तविक बहिर्गमन के आधार पर वैमानिक कर आकलनों को टू अप करना।

अध्याय 12 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

12.6.1 पैरा 12.2.3 (तालिका 135) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के सूक्ष्म आर्थिक संकेतकों संबंधी व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के उनहत्तरवें (69) सर्वेक्षण में दिए गए वित्त वर्ष 2021-22 की औसत डब्ल्यूपीआई मुद्रा–स्फीति के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 4.9% मुद्रा–स्फीति को मानना।

अध्याय 13 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.6.1 सेवा की गुणवत्ता के कारण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए किसी भी समायोजन को न मानना।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

14.6.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 139 के अनुसार एआरआर को उपयुक्त एआरआर मानना।

14.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के कार्य के दौरान वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सभी बिल्डिंग ब्लॉकों को टूअप करना।

अध्याय 15 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

15.6.1 तालिका 142 में दिए गए वैमानिक राजस्व को मानना।

15.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्याओं के आधार पर वैमानिक राजस्व को टूअप करना।

17 आदेश

17.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण आदेश के संलग्नक I में दर्शाए अनुसार एतद्द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026) के लिए चैन्ने अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्ने में लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

17.1.2 वायुयान नियम, 1937 के नियम 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्द्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि से प्रभावी आदेश के संलग्नक-I के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) की दर निर्धारित करता है।

17.1.3 यह टैरिफ आदेश **1 अप्रैल, 2022** से लागू होगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि:

1. **सचिव, नागर विमानन मंत्रालय,**
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

2. **नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए**